

कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोधपुर (पूर्व)

क्रमांक:-पु.उपा.जोध./एमओबी/पूर्व/2023/447

दिनांक:-27/02/2023

आदेश

राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित वांछित अपराधी को गिरफ्तार करवाने हेतु सही सूचना देगा उसको निम्नानुसार पारितोषिक प्रदान किया जावेगा। पारितोषिक वितरण के संबंध में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा। उक्त वांछित अपराधी के विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण दर्ज है :-

क्र. स.	नाम पता अपराधी	अपराधी जिन मुकदमों में वांछित है की सूची	फोटो वांछित अपराधी	घोषित ईनाम राशि
1	प्रवीण पुत्र श्री जगदीश जाति विशनोई निवासी गोयतो की ढाणी, हेमागुड़ा, पुलिस थाना झाब, जिला जालौर, (राज.)	प्रकरण संख्या 74 दिनांक 25.02.2023 धारा 420, 116, 120बी. भा.द.सं. व धारा 10(2) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022, पुलिस थाना बनाड़ जिला जोधपुर पूर्व(राज.)		5000/-

सही/-

(डॉ. अमृता दुहन)
पुलिस उपायुक्त,
जोधपुर (पूर्व)

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. सी.बी राज0 जयपुर।
3. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस अपराध सतर्कता राज0 जयपुर।
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर ।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर/जयपुर आयुक्तालय, समस्त पुलिस अधीक्षक राज0 मय/जी. आर.पी जोधपुर, अजमेर।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर आयुक्तालय।
7. समस्त थानाधिकारी जोधपुर आयुक्तालय।
8. प्रभारी लेखा शाखा/विभागीय जॉच शाखा

सही/-

पुलिस उपायुक्त,
जोधपुर (पूर्व)